न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2026 G.C.M.S. No. 2026/58 दर्ज दिनांक : 13.01.2026

अपीलार्थिगण:

करमीराम पुत्र नाथा के कायम मुकाम

1. अमराराम पुत्र करमीराम जाति कलबी, निवासी देवदा का गोलिया, तहसील बागोडा, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. वीरमाराम पुत्र पुरा
2. आदाराम पुत्र नाथा
3. कसुबी पुत्री नाथा
4. देबू देवी पत्नी नाथा
5. नरसीराम पुत्र नाथा
6. परखाराम पुत्र नाथा
7. पासाराम पुत्र नाथा
8. मगाराम पुत्र नाथा जातियान तमाम कलबी, निवासीगण देवदा का गोलिया, तहसील बागोडा, जिला जालोर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बागोडा
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मोरसीम, तहसील बागोडा, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर, बागोडा के राजस्व वाद संख्या 42/2024 बअनवान वीरमाराम बनाम आदाराम आदि में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 01.07.2025

पैरोकार:–

1. श्री निखिल दवे, श्री मुकेश सांखला विद्वान अभिभाषक, अपीलांट।
2. श्री केसाराम चौधरी, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलेक्टर, बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2024 बअनवान वीरमाराम बनाम आदाराम आदि में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 01.07.2025 के विरूद्ध आलोच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है:—

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधिनस्थ नयायालय सहायक कलेक्टर बागोडा में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा देवडा का गोलिया तहसील बागोडा में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 100, 1142, 1143, 1144, 1922/1141, 1923/1141, 1924/1141, 472, 474, 475, 476, 477, 48, 67, 96, 97 एवं 98 कुल खसरा 17 कुल रकवा 25.00 हैक्टर की आई हुई है। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा स्वंय का 1/2 हिस्सा होना उल्लेखित किया एवं उक्त भूमि के संबंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिनस्थ नयायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है तत्श्चात् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उक्त अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ नयायालय के समक्ष वादग्रस्त प्रकरण में अपीलान्ट के पिता करमीराम पुत्र नाथाजी पक्षकार थे। जिनका स्वर्गवास अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पहले हो चुका था एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट को उसके पिता के स्थान पर पक्षकार संयोजित नही किया गया था। अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास हो चुका है एवं अपीलान्ट के अलावा स्वर्गीय करमीराम पुत्र नाथाजी के अन्य कोई वारीस हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथमश्रेणी का नही होने से एवं अपीलान्ट का हित उसके पिता स्वर्गीय करमीराम की सम्पति में निहित होने से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है। जिस कारण वह उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है परंतु अपीलान्ट वादग्रस्त प्रकरण में पक्षकार नही होने से अपील प्रस्तुत करनी की अनुमति प्राप्त करने हेतू धारा 96 सी0पी0सी का प्रार्थना पत्र पथक से अपील के साथ प्रस्तुत कर रहा है। अपीलान्ट के पिता की ओर से दिनांक 16.01.2025 को अधिनस्थ नयायालय के समक्ष वकालतनामा मय जबाब दावा पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है परंतु दिनांक 16/01/2025 से पहले ही अपीलान्ट के पिता करमीराम का स्वर्गवास हो चुका था तो उनके द्वारा अधिवक्ता नियुक्त कतना एवं जबाब दावा प्रस्तुत किया जाना ही अपने आप में सदेह उत्पन्न करता है। जिससे स्पष्ट है कि तमाम रेस्पोडेंट द्वारा अपीलान्ट के पिता की मत्यु होने के पश्चात् गल त तरीके से मिलावत कर उक्त निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अधिनस्थ नयायालय के समक्ष प्रथम तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की तरफ जबाब दावा प्रस्तुत होना का उल्लेख आया है वही दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 5 नरसीराम पुत्र नाथा द्वारा स्वंय का जबाब अलाग से प्रस्तुत कर काअेन्टर कलेम प्रस्तुत किया गया उक्त काअेन्टर कलेम का कोई जबाब रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिया जाना न्यायालय की आदेशिका से साबित नही होता है एवं न ही अधिनस्थ नयायालय द्वारा उक्त प्रकरण में कोई तनकीयात कायम की गई है। अधिनस्थ नयायालय द्वारा दिनांक 07.02.2025 को वादी/रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किये जाने का उल्लेख किया गया एवं अन्य प्रतिवानीगण द्वारा सहमति दिया जाना उल्लेखित किया गया है परंतु आदेशिका में किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर अथवा अगुष्ठ निशान नही है एवं दिनांक 07.02.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी किये जाने का एवं निर्णय अलग से लिखवाये जाने का उल्लेख किया है परंतु उस रोज कोई प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी नही की गई है तत्श्चात् दिनांक 28.02.2025, दिनांक 10.03.2025 एवं 15.05.2025 को पीठासीन अध्किारी अन्य कार्य में व्यस्त होने का उल्लेख करते हुये आगामी तारीख पेशी नियत की गई है एवं दिनांक 23.05.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

हस्ताक्षर कर पालना हेतू तहसीलअदार बागोडा को प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ नयायालय द्वारा 3 माह पहले निर्णय व डिक्री लिखकर सुरक्षित रख लिया था एवं 3 माह पश्चात् निर्णय पर हस्ताक्षर कर पालना हेतू तहरीर जाती की गई है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ नयायालय द्वारा प्रारम्भ से ही वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को लाभ पचुचाने के उद्देश्य से उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई थी तत्श्चात् रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत् 151 सी0पी0सी का प्रस्तुत करते हुये प्रतिवादी संख्या 5 नरसीराम पुत्र नाथा द्वारा जबाब मय काउन्टर कलेम का हवाला देते हुये संशोधित डिक्री जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है जिसकी प्रति किसी भी अधिवक्ता को दिये जाने का कोई उल्लेख न्यायलय की आदेशिका में नही है एवं उसी रोज संशोधित निर्णय पारित किया जाना यह स्पष्ट करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व अधिनस्थ नयायालय में प्रतिवादी संख्या 5 नरसीराम द्वारा आपस में मिलावत कर उक्त वाद प्रस्तुत करवाया था एवं संशोधित निर्णय जारी किये जाने से पूर्व अन्य किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर नही दिया जाना इस तथ्य को साबित करता है। माफिक कानून रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी द्वारा अपने वाद को जरिये साक्ष्य साबित नही करवाया है अधीनस्थ नयायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/05/2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 01/07/2025 को पारित करते समय काअेन्टर कलेम पर कोई निर्णय पारित नही किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा के आदेश दिनांक 01/07/2025 की पालना में दिनांक 03/07/2025 को मौका देखा गया है एवं उक्त मौका रिपोर्ट से पूर्व दिनांक 02/07/2025 को पक्षकारान को नोटिस द्वारा सूचना दिये जाने का उल्लेख किया गया है एवं विभाजन प्रस्ताव में भी अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता करमीराम को विभाजन में भूमि दिलवाये जाने का उल्लेख किया गया है। परंतु उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके पर जाकर तैयार नही की गई है एवं इस तथ्य पर भी गौर नही किया गया है अपीलान्ट को किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की कोई सूचना नही दी गई थी एवं उसकी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसकी सूचना अपीलान्ट को नही दी गई थी एवं न ही उसे विभाजन प्रस्ताव आपत्ति करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ है इन हांलात में विभाजन प्रस्ताव की सूचना अपीलान्ट को नही दिये जाने से एवं एक तरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से उसके आधार पर पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव मे रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट नरसीराम द्वारा आपस में मिलावत कर रेस्पोडेंट नरसीराम मुख्य मार्ग से लगती हुई भूमि प्राप्त की गई है एवं विभाजन प्रस्ताव में किसी पक्षकार को कहा से रास्ते की सुविधा प्राप्त होगी इसका कोई उल्लेख नही किया गया। जिससे विभाजन प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण नही कहा जा सकता है। अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ नयायालय सहायक कलेक्टर बागोडा के राजस्व वाद सम्ख्या 42/2024 बअनवान वीरमाराम बनाम आदआम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2025 को निरस्त फरमाया जावे

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2025 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री एवं संशोधित निर्णय दिनांक 01.07.2025 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट दिनांक 28.12.2025 को वादग्रस्त आराजी पर कषि कार्य कर रहा था तब रेस्पोडेंट संख्या 1 वहा पर आया एवं अपीलान्ट के कब्जा काश्त में दखल पैदा की एवं उसे एलानिया धमकी दी कि मौके पर वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवा लिया है अपनी हिस्से की भूमि का बेचान रुपान्तरण एवं अन्य प्रकार से अन्तरण कर दूंगा जिस पर अपीलान्ट दिनांक 29.12.2025 को अधीनस्थ नयायालय के कार्यालय में गया एवं नकल हेतू आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 29.12.2025 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त हुई जिससे अपीलान्ट उक्त अपील अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी होने से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थीं। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता करमीराम पुत्र नाथा वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित खातेदार को पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया है एवं करमीराम दिनांक 06.12.2024 को फौत हो चुका था तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2025 को इसके पश्चात पारित किया गया, लेकिन मृतक के वारिसान अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में निर्णय दिनांक से अपीलांट को निर्णय की जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी जिसमे करमीराम पुत्र नाथा बतौर खातेदार दर्ज है, जिसकी मृत्यु दिनांक 06.12.2024 को हो चुकी थीं। इसके बावजूद अपीलांट जो कि मृतक के वारिसान है, को बतौर कायम मुकाम संयोजित नहीं किया गया तथा मृतक के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.05.2025 एंव संशोधित निर्णय दिनांक 01.07.2025 को पारित किया गया। चूंकि अपीलांट, करमीराम पुत्र नाथा के वारिसान है तथा करमीराम फौत हो चुका हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार करमीराम के वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांट हस्तगत प्रकरण में स्वाभाविक रूप से आवश्यक पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार है। जिन्हें हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः पृथक से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी जिसमे अमराराम पुत्र करमीराम बतौर खातेदार दर्ज है, जिसकी मृत्यु निर्णय से पूर्व हो चुकी थीं। इसके बावजूद अपीलांट जो कि मृतक के वारिसान है, को बतौर कायम मुकाम संयोजित नहीं किया गया तथा मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.05.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 01.07.2025 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार करमीराम पुत्र नाथा के वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया है, जो कि मृतक के विरूद्ध होने से काबिल अपास्त है।

6. अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 05 की और से जवाबदावा मय प्रतिदावा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 व 06 से 08 की और से जवाबदावा प्रस्तुत होने का अंकन है तथा प्रकरण में पक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित किये जाने व प्रस्तुत किये जाने का कोई अंकन नहीं है। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम किए बिना एवं साक्ष्य लिए बिना, बिना साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। जो वादपत्रो के सम्यक निर्णयो के लिए अपेक्षित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानो के विचलन में पारित की गयी है। जो कि विधि विरूद्ध व दुषित होने से काबिल अपास्त है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, बागोडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2024 बअनवान वीरमाराम बनाम आदाराम आदि में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2025 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 01.07.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागौड़ा मे असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली